

## समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशास्त्रा)

दिनांक 30.12.2013 को आयोजित जिला स्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय

क्र०	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	<p>प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि एम०जे०सी० बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव बनाम राज्य में अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, इस मामले की संचिका अनुमोदन हेतु भेजी गयी है। इस मामले में भी शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० त्रिवेणी मुखिया बनाम राज्य, जो पी०डी०एस० डीलर से संबंधित है, में तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमोदनार्थ भेजी गई है। इस मामले में भी शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० मो० इसराउल हक बनाम राज्य, जो जन वितरण प्रणाली विक्रेता से संबंधित मामला है, इस मामले में भी तथ्य विवरणी तैयार कर ली गयी है एवं आज इसे अनुमोदनार्थ भेजा जायेगा। इस मामले में शीघ्र कारणपृच्छा दाखिल करने का निर्देश, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० महरानी अधिरानी काम सुन्दरी बनाम राज्य सरकार, जो श्याम मंदिर न्यास समिति के संबंधित है, के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा द्वारा बताया गया कि इस मामले में तथ्य विवरणी अनुमोदित हो चुका है। इस सप्ताह में कारणपृच्छा दाखिल करवाने का निर्देश स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा को दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० सीता देवी बनाम राज्य के मामले की सुनवाई 15.01.14 को निर्धारित है। इसके पूर्व याचिकाकर्ता को पूरा भुगतान करना है। यह मामला प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हायाघाट से संबंधित है। सेवा अवधि विस्तार के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त पत्र के आलोक में महालेखाकार, बिहार के कार्यालय से सम्पर्क कर निर्देश प्राप्त करने का निर्देश स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा को दिया गया। स्थाना उप समाहर्ता द्वारा बताया गया कि इसके लिये एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है, उन्हें मामले में शीघ्रता बरतने का निर्देश दिया गया।</p> <p>एम०जे०सी० भुवनेश्वर यादव बनाम राज्य के मामले की सुनवाई दिनांक 8.1.14 को निर्धारित है। इस मामले में दोषी अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना से पत्राचार किया गया है।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० गुड्डू बाबा बनाम राज्य में अगली सुनवाई 06 जनवरी को निर्धारित है। इस बीच डी०एम०सी०एच० परिसर के अवशेष अतिक्रमण को हटाने तथा इस संबंध में प्रमाण-पत्र समर्पित करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी, सदर को दिया गया।</p> <p>सी०डब्लू०जे०सी० श्री श्री 108 राधाकृष्ण मंदिर बनाम राज्य सरकार का मामला जो केवटी के पिण्डारूच में मंदिर की जमीन पर प्रधानमंत्री ग्राम सङ्करण योजना से पथ निर्माण कराये जाने से संबंधित है, के संबंध में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-2 द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कार्य रोक दिया गया है तथा मंदिर के जमीन के सीमांकन हेतु अंचलाधिकारी, केवटी से पत्राचार किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे अपने कनीय अभियंता को अंचलाधिकारी से सम्पर्क कर सीमांकन करवाने का निर्देश दें।</p>	<p>प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा / जिला आपूर्ति पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, सदर / / जिला पंचायत राज पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-2 / स्थापना उप समाहर्ता, दरभंगा</p>

